कार्यालय प्रभारी गैराज, नगर निगम, सहारनपुर।

पत्रांक 61 /निविदा/गै0स्टो0/न0नि0सहा0/2024–25 दिनांक 22/07/2024

ई–निविदा सूचना

सर्वसाधारण को एतदद्वारा सूचित किया जाता है, कि नगर निगम सहारनपुर के गैराज विभाग में सफाई सामग्री की आपूर्ति हेतु दरें (प्रति नग/प्रति किलो/प्रति मीटर) एवं कीटनाशक दवाओं की आपूर्ति हेतु दरें (प्रति बड़े ड्रम/प्रति पैकेट) वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये इच्छुक फर्म/ठेकेदार से दिनांक 23.07.2024 से 06.08.2024 को अपरान्ह 02.00 बजे तक वेबसाईट **www.etender.up.nic.in** पर शर्तों के आधार पर आमन्त्रित की जाती है। निविदा संबंधित सभी अभिलेख एवं शर्तें वेबसाइट **www.etender.up.nic.in** पर एवं नगर निगम की वेबसाइट **http::/saharanpurnagarnigam.com** पर उपलब्ध रहेंगे, जहां से इसे डाउनलोड किया जा सकता है, निविदा को वेबसाइट **www.etender.up.nic.in** पर ही ऑनलाईन डाला जा सकता है। ठेकेदार/फर्म को निविदा के साथ निर्धारित जमानत राशि एवं निविदा मूल्य ई-निविदा वेबसाइट पर ऑनलाईन माध्यम से भुगतान करना होगा। बिना जमानत राशि, निविदा मूल्य एवं सशर्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। निविदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम, सहारनपुर में निहित होगा।

क्र.सं.	पत्रावली सं0	कार्य का नाम	धरोहर राशि	निविदा मूल्य
01	GS-02	गैराज स्टोर में सफाई सामग्री की आपूर्ति	1,00,000/- (Payble at e-tender website)	1298/-With GST Non-Refundable (Payble at e-tender website)
02	GS-03	गैराज स्टोर में कीटनाशक दवाओं की आपूर्ति	2,00,000/- (Payble at e-tender website)	2596/-With GST Non-Refundable (Payble at e-tender website)

E Bid REFERANCE	GS-02, 03/2024-25
PUBLISH DATE AND TIME FOR RFP	23-07-2024
LAST DATE AND TIME FOR SUBMISSION OF E-Bids	06-08-2024 at 2:00 PM
DATE AND TIME OF OPENING OF ON LINE TECHNICAL E-Bids	06-08-2024 at 4:00 PM
PLACE OF OPENING OF E-Bids	Nagar Nigam Office (Sre.)
E-Bids SECURITY	As Above
E-Tender Document Processing	As Above

जैड0एस0ओ0
नगर निगम, सहारनपुर

प्रभारी गैराज/अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, सहारनपुर

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि –

1. माननीय महापौर महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ।
2. नगर आयुक्त महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ।
3. लेखाधिकारी, नगर निगम, सहारनपुर को सूचनार्थ।
4. आई.टी.ओ., नगर निगम, सहारनपुर, को नगर निगम की वेबसाईट **saharanpurnagarnigam.com** पर अपलोड करने हेतु।
5. प्रबन्धक दैनिक हिन्दुस्तान एवं दैनिक धारा-प्रूफ समाचार पत्र को इस आश्य से कि उक्त सूचना का प्रकाशन अपने समाचार पत्र में कम से कम स्पेस में 09 फोन्ट में डीएवीपी दर/शासकीय दर पर प्रकाशित कर, बिल 03 प्रतियों सहित भुगतान हेतु प्रस्तुत करें। अधिक फोन्ट में प्रकाशन किये जाने पर भुगतान नहीं किया जायेगा। जिस हेतु कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
6. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
7. गार्ड फाईल हेतु।

जैड0एस0ओ0
नगर निगम, सहारनपुर

प्रभारी गैराज/अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, सहारनपुर

CamScanner

सहारनपुर नगर निगम, सहारनपुर

GS- 03 कीटनाशक दवाई हेतु ई-टैण्डर के सम्बन्ध में शर्तें:-

1. यह निविदा ई-टैण्डर के माध्यम से प्राप्त किया जाना है।
2. उक्त दरें पूरे वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये मान्य होंगी।
3. निविदा की दरें ई-टैण्डर'के साथ दी गयी बी.ओ.क्यू. में बड़े ड्रम (200 ली0)/5 किलो/10 किलो पैकेट के अनुसार निविदा डाल सकते हैं। उक्त दरें जी.एस.टी. सहित डालनी होगी। निविदा में डाली गयी दर के अतिरिक्त कोई अन्य भुगतान नगर निगम सहारनपुर द्वारा नहीं किया जायेगा।
4. निविदा डालते समय निविदा का शुल्क 2596/- रू0 (जी0एस0टी0 सहित) एवं धरोहर राशि रूपये 02 लाख (दो लाख रूपये) ई-टैण्डर वेबसाईट पर ऑनलाईन प्राप्त की जायेगी।
5. यह निविदा नगर निगम की वेबसाइट http::/saharanpurnagarnigam.com पर भी उपलब्ध होगी। निविदा को www.etender.up.nic.in वेबसाइट पर ही डाला जा सकता है।
6. कोई निविदा प्रपत्र निविदा बॉक्स में नहीं डाली जायेगी। समस्त प्रपत्र ऑनलाईन रूप से अपलोड करना होगा। निविदादाता को निविदा संबंधित मूल प्रपत्र जैसे कि शपथ पत्र, पेस्टीसाईड लाईसेंस इत्यादि नगर निगम सहारनपुर के स्वास्थ्य गैराज स्टोर कार्यालय में उपलब्ध कराने होंगे। उपलब्ध न कराये जाने की दशा में निविदा को निरस्त मान लिया जायेगा।
7. निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से 90 दिवस होगी एवं एक बार प्रस्तुत की गयी निविदा वापिस नहीं होगी।
8. निविदा डालते समय किसी भी विभाग में Debar न होने, किसी विभाग का बकाया न होने एवं किसी भी विभाग में ब्लैक लिस्ट न होने का 100/- रू0 के स्टाम्प पर शपथ पत्र के साथ कम्पनी/ठेकेदार का पैन नं., जी.एस.टी. का रजि. नं. की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
9. निविदादाता को निविदा प्रपत्र पर नाम, पता हस्ताक्षर, मोबाइल नम्बर, जी0एस0टी0 नं0, पैन नं0 स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य है। निविदा प्रपत्र पर किसी भी प्रकार की कटिंग एवं संशोधन मान्य नहीं होगी। यदि इस प्रकार की कोई भी त्रुटि निविदा प्रपत्र पर पाई गयी, तो उसका समस्त उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।
10. यह कि निविदादाता को निविदा दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठों पर मोहर सहित हस्ताक्षर करने होंगे। जिससे निविदा के प्रत्येक शब्द पर निविदादाता की सहमति माना जायें।
11. निविदा के साथ अपना नाम, पत्राचार का पता, टेलीफोन/मो0 नं0, ईमेल आदि दर्ज करना होगा।
12. निविदा के साथ सभी कीटनाशकों के सैम्पल भी निविदा तिथि दिनांक को 03:00 बजे तक गैराज स्टोर में जमा कराने होंगे। बिना सैम्पल की निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। अर्ह निविदाओं के सैम्पल पास होने के उपरान्त ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
13. यह कि निविदा में कई कीटनाशक दवा की निविदा मांगी गयी है। उसमें सभी कीटनाशक दवाओं की दरों का योग किया जायेगा। जिस निविदादाता का योग, न्यूनतम होगा वही निविदा न्यूनतम मानी जायेगी एवं न्यूनतम निविदादाता को द्वितीय न्यूनतम निविदादाता की न्यूनतम दरों पर आपूर्ति भी करनी होगी।
14. यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को अवकाश होता है, तो निविदा अगले दिन उसी समय दी जायेगी व अगले दिन उसी समय खोली जायेगी। इस हेतु अलग से कोई सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं की जायेगी।
15. निविदादाता की निविदा का प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकता है यदि वे निविदा अथवा किसी भी संशोधन में मांगे गए किसी भी प्रमाणपत्र/दस्तावेज अपलोड नहीं करते हैं।
16. नगर आयुक्त को जनहित में किसी भी शर्त को परिवर्तित करने अथवा संशोधित करने का अधिकार होगा। यदि कोई संशोधन होता है तो इसकी सूचना निविदा वेबसाईट पर ही दी जायेगी। अलग से समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जायेगा।
17. फर्म का चयन डबल बिड सिस्टम के द्वारा किया जायेगा। फर्म की तकनीकी शर्त पूरी हो जाने के बाद ही फर्म का चयन न्यूनतम निविदादाता के अनुसार ही किया जायेगा।
18. शर्त पूरी नहीं करने वाली निविदा एवं सशर्त किसी भी निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा और उसकी निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

जै0ड0 एस0 ओ0
न... सहारनपुर

प्रभारी गैराज
नगर निगम सहारनपुर

9. किसी भी शर्त के उल्लंघन करने पर जुर्माना करने, जमा धनराशि जब्त कर निविदा निरस्त करने और फर्म को प्रतिबन्धित ब्लैक लिस्ट करने का अधिकार नगर आयुक्त को होगा।
20. निविदादाता के पास कीटनाशक की आपूर्ति हेतु पेस्टीसाईड (Public Health Pesticide) का लाईसेन्स होना अनिवार्य है।
21. निविदादाता के पास कीटनाशक की आपूर्ति का सरकारी क्षेत्र/निगम में से कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए। जिसका प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। साथ ही बिल/कार्यादेश की छायाप्रति भी संलग्न होनी चाहिए।
22. निविदादाता को (Product) का केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड (सी.आई.बी.) के रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
23. आई0एस0आई0 प्रमाणित उत्पाद को प्राथमिकता दी जायेगी।
24. निविदादाता को निर्माता कम्पनी का ऑथोराईजेशन लैटर (OEM द्वारा जारी किया गया) संलग्न करना अनिवार्य होगा।
25. निविदादाता को सभी प्रोडक्ट की लैब परीक्षण रिपोर्ट संलग्न करनी अनिवार्य होगी।
26. निविदादाता/फर्म को निर्माता कम्पनी का मैन्यूफैक्चरिंग लाईसेन्स संलग्न करना अनिवार्य होगा।
27. किसी भी आईटम की दरें एम.आर.पी. से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि दरें अधिक होती है तो समस्त जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता कम्पनी की होगी।
27. आपूर्ति आदेश जारी करने के 10 दिन में कार्य पूर्ण न करने की दशा में सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म को जमानत धनराशि जब्त करते हुए ब्लैक लिस्ट करने पर विचार किया जायेगा। जिस पर नगर आयुक्त द्वारा गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जायेगा जो सभी को मान्य होगा।
28. न्यूनतम निविदादाता द्वारा आपूर्ति बड़े ड्रम/बल्क पैकेज (200 ली0)/5 किलो/10 किलो पैकेट में करनी होगी।
28. सामग्री की आपूर्ति मानक एवं सभी शर्तों के अनुरूप की जानी होगी। अन्यथा की दृष्टि में निविदादाता की धरोहर राशि जब्त करते हुये, काली सूची में डाल दिया जायेगा।
29. निविदादाता को सामग्री की आपूर्ति कम्पनी शील्ड पैकेजिंग में करनी अनिवार्य होगी।
30. उपरोक्त सामग्री की आपूर्ति नगर निगम के गैराज स्टोर में करनी होगी। जिसकी कोई अतिरिक्त धनराशि नगर निगम वहन नहीं करेगा।
31. फर्म को निविदा की स्वीकृति के उपरान्त निर्धारित धनराशि के स्टाम्प पर अनुबन्ध कराना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात कार्यादेश जारी किया जायेगा।
32. किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम सहारनपुर में निहित होगा।
33. किसी भी वाद विवाद की स्थिति में नगर आयुक्त का निर्णय अंतिम व दोनो पक्षों को मान्य होगा।
34. किसी भी विवाद की स्थिति मे वाद का निस्तारण सहारनपुर न्यायालय में ही होगा।

जैड0एस0ओ0

प्रभारी गैराज/अपर नगर आयुक्त

CamScanner